प्रारंभिक परीक्षा

यूनेस्को द्वारा भारत की अस्थायी सूची में छह स्थल जोड़े गए

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने भारत के छह नए स्थलों को अपनी अस्थायी सूची(Tentative List) में शामिल किया है।

यूनेस्को की अस्थायी सूची(Tentative List) क्या है?

- **अस्थायी सूची उन संपत्तियों की सूची है, जिन्हें कोई देश विश्व धरोहर सूची में नामांकन के लिए विचार करना चाहता है।**
- **किसी साइट को औपचारिक रूप से नामांकित करने से पहले अस्थायी सूची में शामिल होना अनिवार्य है।**
- इससे यूनेस्को को साइट के संभावित उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य(OUV) का आकलन करने में मदद मिलती है।
- भारत की अब **62 साइटें अस्थायी सूची** में हैं।

जोड़ी गई साइटें

साइट का नाम	प्रमुख विशेषताएं
1. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 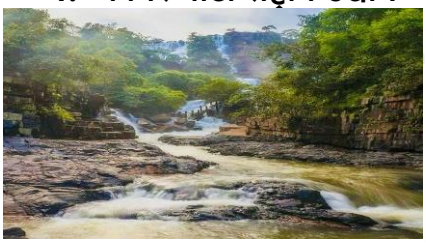	• **स्थान**: बस्तर जिला (छत्तीसगढ़)। • **इसका नाम कांगेर नदी से लिया गया है।** • चूना पत्थर की गुफाओं (कोटुमसर, कैलाश, दंडक) और दुर्लभ ब्लाइंड केव फिश का घर। • रामायण से जुड़े दंडकारण्य के साथ घने जंगल।
2. मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर	• **वे तेलंगाना में कृष्णा नदी के तट के पास स्थित हैं।** • **अनुमान है कि ये 3500-4000 वर्ष पुराने हैं।** • मेनहिर एक खड़ा या सीधा पत्थर होता है, जो आमतौर पर शीर्ष पर पतला होता है। • **यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित मेगालिथिक खगोलीय वेधशालाओं में से एक है।** • **यह पत्थर पर खगोलीय चित्रण वाली एकमात्र दक्षिण एशियाई साइट है।**
3. मौर्य मार्गों के किनारे अशोक के शिलालेख स्थल।	• **सम्राट अशोक (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) के शिलालेख पूरे भारत में फैले है।** • **ब्राह्मी लिपि** का उपयोग करते हुए **प्राकृत में चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं पर उत्कीर्ण।** • वे अशोक की नैतिक और प्रशासनिक नीतियों और बौद्ध धर्म के प्रसार को दर्शाते हैं।

4. चौसठ योगिनी मंदिर 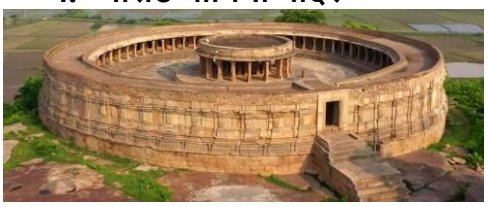	• **64 योगिनियों (तांत्रिक देवियों) को समर्पित गोलाकार मंदिर।** • मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। • 8वीं-12वीं शताब्दी के बीच निर्मित, संसद भवन के डिजाइन के लिए प्रारंभिक प्रेरणा।
5. उत्तर भारत में गुप्त मंदिर 	• **गुप्त काल (चौथी-छठी शताब्दी ई.) के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला को दर्शाते हैं।** • उदाहरण के लिए दशावतार मंदिर (देवगढ़), भीतरगांव मंदिर (यूपी), एरन मंदिर (एमपी)। • उनके वास्तुशिल्प डिजाइन में बौद्ध और हिंदू दोनों शैलियों के तत्व शामिल हैं। • **अधिकांश गुप्त मंदिर धूप में सुखाई गई ईंटों और टेराकोटा से बने हैं, जिनमें से कुछ बलुआ पत्थर से बने हैं।** • मंदिरों में एक बुनियादी वर्गाकार योजना और एक परिक्रमा पथ के साथ सपाट छत थी, एक कम ऊंचाई वाला शिखर और द्वार मुख्य रूप से सजावटी पट्टियों के साथ टी-आकार के थे।
6. बुंदेलों के महल-किले 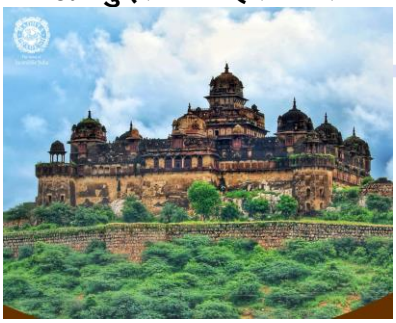	• **बुंदेला राजपूतों द्वारा निर्मित (16वीं-19वीं शताब्दी)।** • **छह किले**: गढ़कुंडार किला, राजा महल, जहाँगीर महल, दतिया पैलेस, झाँसी किला और धुबेला पैलेस। • राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण।

स्रोत: [The Hindu - Six sites added to India's tentative list]

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक प्रोत्साहन नीति

संदर्भ

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने छह वर्षों में 22,919 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन नीति को अंतिम रूप दिया है।

योजना की मुख्य विशेषताएं -

- **लक्षित इलेक्ट्रॉनिक घटक:** यह योजना उन प्रमुख घटकों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी जो वर्तमान में आयात किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - डिस्प्ले मॉड्यूल, सब-असेंबली कैमरा मॉड्यूल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए), लिथियम सेल एनक्लोजर, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर आदि।
- **रोजगार सृजन:**
    - **कुल प्रत्यक्ष नौकरियों का लक्ष्य**: छह वर्षों में **91,600 प्रत्यक्ष नौकरियां**
- **स्थानीय मूल्य संवर्धन में वृद्धि:**
    - स्मार्टफोन विनिर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना एप्पल और सैमसंग जैसी प्रमुख कंपनियों को आकर्षित करने में सफल रही है।
    - हालांकि, घरेलू असेंबली में वृद्धि के बावजूद, स्थानीय मूल्य संवर्धन 15-20% पर बना हुआ है, और सरकार का लक्ष्य इसे कम से कम 30-40% तक बढ़ाना है।
- **प्रोत्साहन की संरचना:** इस योजना में तीन प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाएंगे:
    - **परिचालन प्रोत्साहन** - शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर आधारित, पीएलआई मॉडल के समान।
    - **पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) प्रोत्साहन** – पात्र पूंजी निवेश के आधार पर।
    - **हाइब्रिड मॉडल** - परिचालन और पूंजीगत व्यय प्रोत्साहनों का संयोजन।
- **पात्रता मापदंड:**
    - **ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों निवेश पात्र हैं।**
    - विदेशी कम्पनियां निम्नलिखित तरीकों से भाग ले सकती हैं:
        - किसी भारतीय कंपनी को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करना, अथवा
        - किसी घरेलू फर्म के साथ संयुक्त उद्यम का गठन करना।

इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण में प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

- **घरेलू पैमाने का अभाव** - भारत की वर्तमान क्षमता कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का केवल 10% है।
- **उच्च निवेश-से-टर्नओवर अनुपात** –
    - **स्मार्टफोन उत्पादन** में निवेश किए गए प्रत्येक ₹1 से ₹20 का राजस्व उत्पन्न होता है।
    - **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों** में निवेश किये गये प्रत्येक ₹1 से **केवल ₹2-4 ही प्राप्त होते हैं**।
- **भारी आयात निर्भरता** –
    - इलेक्ट्रॉनिक्स आयात **भारत में तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयात वर्ग है**।
    - भारत का **75% इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आयातित घटकों पर निर्भर है।**
- **इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्र में मांग-आपूर्ति का अंतर बहुत बड़ा है:**
    - **वर्तमान घरेलू उत्पादन (2022-23): 10.75 बिलियन डॉलर।**
    - **घरेलू उपभोग अंतर:** 100 बिलियन डॉलर।
    - **संभावित निर्यात मांग:** 140 बिलियन डॉलर

स्रोत: [Indian Express - Electronics incentive policy]

वैज्ञानिकों ने प्रकाश को सुपरसॉलिड में परिवर्तित किया

संदर्भ

पहली बार वैज्ञानिकों ने प्रकाश को सफलतापूर्वक सुपरसॉलिड में परिवर्तित कर दिया है।

सुपरसॉलिड(Supersolid) क्या है?

- **सुपरसॉलिड पदार्थ की वह अवस्था है, जहां कण क्रिस्टलीय ठोस संरचना में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन तरल के समान बिना श्यानता के भी प्रवाहित हो सकते हैं।**
    - **श्यानता(viscosity)** से तात्पर्य किसी तरल पदार्थ की गति के प्रति आंतरिक प्रतिरोध से है।
    - **सामान्य ठोस** में कण अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं।
    - **सामान्य द्रव** में कण स्वतंत्र रूप से घूमते हैं लेकिन कुछ घर्षण का अनुभव करते हैं।
    - **सुपरसॉलिड अद्वितीय हैं क्योंकि वे एक संरचित, ठोस जैसी व्यवस्था बनाए रखते हुए तरल की तरह बहते हैं।**
- **सुपरसॉलिड्स की मुख्य विशेषताएं:**
    - **ठोस जैसी संरचना** - कण एक व्यवस्थित जाली में व्यवस्थित होते हैं।
    - **तरल जैसी गति** - कण बिना घर्षण के प्रवाहित हो सकते हैं (शून्य श्यानता)।
    - **क्वांटम व्यवहार** - क्वांटम प्रभावों के कारण केवल चरम स्थितियों में ही अस्तित्व में रहता है।
- **सुपरसॉलिड बनाने के लिए, पदार्थों को परम शून्य के करीब ठंडा किया जाना चाहिए:**
    - **परम शून्य** = **-459.67°F (-273.15°C)**
    - इस तापमान पर, **ऊष्मा ऊर्जा लगभग पूरी तरह से हटा दी जाती है**, जिससे **क्वांटम प्रभाव** हावी हो जाता है।
- अधिकांश तरल पदार्थ, जैसे पानी या शहद, चलते समय घर्षण करते हैं। लेकिन कुछ विशेष पदार्थ, जैसे सुपरसॉलिड, बिना घर्षण के चलते हैं।
    - **उदाहरण सुपरफ्लुइड हीलियम:** जब हीलियम को परम शून्य के करीब ठंडा किया जाता है, तो यह सामान्य तरल की तरह कार्य करना बंद कर देता है। यह बिना किसी प्रतिरोध के बह सकता है और यहां तक कि एक कंटेनर की दीवारों पर चढ़ सकता है।

वैज्ञानिकों ने प्रकाश को सुपरसॉलिड में कैसे बदला?

- यद्यपि पहले भी परमाणु गैसों से सुपरसॉलिड बनाए जा चुके हैं, यह शोध प्रकाश से सुपरसॉलिड बनाने का पहला सफल प्रयास है।
- वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के **"क्वासिपार्टिकल" का प्रयोग किया जिसे पोलारिटॉन** कहा जाता है, जो तब बनता है जब:
    - **प्रकाश (फोटॉन) और पदार्थ (एक्साइटॉन) एक दूसरे के साथ दृढ़ता से परस्पर क्रिया करते हैं।**
    - इससे एक **संकर कण निर्मित होता है** जो दोनों की तरह व्यवहार करता है।
- **प्रक्रिया:**
    - **वैज्ञानिकों ने प्रकाश को एक विशेष पदार्थ के अंदर फंसाकर** उसे पदार्थ के साथ क्रियाशील किया।
    - **इससे पोलारिटॉन उत्पन्न हुए**, जो प्रकाश और पदार्थ के मिश्रण की तरह कार्य करते हैं।
    - **पोलारिटॉन परमाणुओं की तरह व्यवहार कर सकते हैं** - और जब ठंडे हो जाते हैं, तो वे **सुपरसॉलिड अवस्था का निर्माण करते हैं**।

सुपरसॉलिड क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- **मौलिक भौतिकी अंतर्दृष्टि:**
  - सुपरसॉलिड्स वैज्ञानिकों को क्रियाशील क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं।
  - वे बताते हैं कि तापमान के हस्तक्षेप के बिना कण परमाणु स्तर पर कैसे परस्पर क्रिया करते हैं।
- **संभावित तकनीकी अनुप्रयोग:**
  - **क्वांटम कंप्यूटिंग** - अति तीव्र, घर्षण रहित डेटा स्थानांतरण को सक्षम कर सकता है।
  - **सुपरकंडक्टर** - शून्य प्रतिरोध विद्युत प्रणालियाँ।
  - **घर्षण रहित स्नेहक** - मशीनों में ऊर्जा की हानि को कम कर सकता है।

स्रोत: **Live Science - Super Solids**

भारत में गेहूँ उत्पादन पर बढ़ते तापमान का प्रभाव

संदर्भ

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि मार्च 2025 में सामान्य से अधिक तापमान और अधिक संख्या में हीटवेव वाले दिन होंगे। यह घटना भारत में गेहूं की कटाई के मौसम के दौरान घटित हो रही है, जिससे गेहूं उत्पादन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

गेहूं की फसल पर गर्मी का प्रभाव -

- **ग्लोबल वार्मिंग से गेहूँ की उपज और गुणवत्ता कम हो जाती है, क्योंकि इससे निम्नलिखित प्रभावित होते हैं:**
    - प्रकाश संश्लेषण और श्वसन।
    - पोषक तत्वों का अवशोषण और जल विनियमन।
    - तनाव-प्रेरित हार्मोन और प्रोटीन।
    - अनाज की संख्या, आकार और बायोमास उत्पादन।
- **गेहूं के बाद के विकास चरणों के दौरान इष्टतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए**, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण दाना भरने की अवधि कम हो रही है।
- **गेहूं पर ताप तनाव का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण:**
    - शीघ्र फूल आना और शीघ्र पकना → स्टार्च का कम संचयन → हल्का दाना और कम गेहूँ उत्पादन।
    - उच्च प्रोटीन लेकिन कम स्टार्च सामग्री → खराब मिलिंग गुणवत्ता और कम बाजार मूल्य।
    - हताश किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं → संसाधनों का अकुशल उपयोग और दीर्घकालिक मृदा क्षति।

भारत में गेहूँ की खेती -

- **क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूँ भारत की दूसरी सबसे बड़ी फसल है (धान के बाद)।**
- **2023-24** में गेहूं की खेती **318.33 लाख हेक्टेयर** में की गई।
- यह एक **रबी फसल है** जिसे पकने के समय ठंडे मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है।
- **मिट्टी**: अच्छी जल निकासी वाली, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए आदर्श होती है।
- **तापमान**: आदर्श तापमान सीमा 10°C और 24°C के बीच है।
    - **इसकी खेती के लिए लगभग 100 दिनों की पाला-रहित अवधि की आवश्यकता होती है।**
- **शीर्ष उत्पादक भारत:** (1) उत्तर प्रदेश (2) मध्य प्रदेश (3) पंजाब (4) हरियाणा (5) राजस्थान।
- **दुनिया भर में शीर्ष उत्पादक:** (1) चीन **(2) भारत** (3) रूस (4) अमेरिका।

बढ़ते तापमान में हिंद महासागर की भूमिका -

- हिंद महासागर खतरनाक दर से गर्म हो रहा है।
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के एक अध्ययन ने भविष्यवाणी की है कि;
    - **सदी के अंत** तक हिंद **महासागर लगभग स्थायी रूप से हीटवेव की स्थिति में रहेगा**।
    - **समुद्री हीटवेव दिनों की संख्या प्रति वर्ष 20 से बढ़कर 220-250 हो जाएगी**।
- **भारत के मानसून पर प्रभाव** :
    - खरीफ फसल का विलंबित मौसम → रबी की बुवाई में विलंब → रबी गेहूं की कटाई के साथ ही गर्मी का दौर भी जल्दी शुरू हो जाता है।

स्रोत: [The Hindu - How climate change is affecting India's wheat production]

पीएम इंटर्नशिप योजना

संदर्भ

केंद्रीय वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने और पंजीकरण तथा आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए **PMIS मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च** किया है।

पीएम इंटर्नशिप योजना (PMIS) के बारे में -

- **उद्देश्य:** शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना।
- **फ़ायदे:**
    - केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से प्रशिक्षुओं को ₹4,500 का मासिक वजीफा(stipend) प्रदान किया जाएगा।
    - कंपनी के **CSR** फंड से अतिरिक्त **₹**500 का ऑफसेट प्रदान किया जाएगा।
- **इंटर्नशिप अवधि:** 1 वर्ष
- **पात्रता:**
    - 21 से 24 वर्ष की आयु के वे अभ्यर्थी जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं लगे हैं, एक वर्षीय इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्र हैं।
    - इंटर्नशिप उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने कक्षा 10 या उससे अधिक उत्तीर्ण की है।
- **अपवाद:**
    - **सरकारी नौकरी वाले परिवारों के व्यक्तियों को इससे बाहर रखा गया है**
    - जो अभ्यर्थी आईआईटी, आईआईएम या आईआईएसईआर जैसे प्रमुख संस्थानों से स्नातक हैं, तथा जिनके पास सीए या सीएमए योग्यता है, वे इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
    - ऐसे परिवार का कोई भी व्यक्ति, जिसमें 2023-24 में 8 लाख रुपये या उससे अधिक की आय अर्जित करने वाला व्यक्ति शामिल हो, पात्र नहीं होगा।

CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) क्या है?

- यह एक अवधारणा है जिसके तहत कंपनियां अपने व्यावसायिक परिचालनों में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करती हैं।
- **भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 ने CSR योगदान को अनिवार्य बना दिया है।**

स्रोत: Indian Express - PM Internship Scheme

रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य

संदर्भ

रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य ने लगातार चौथे वर्ष लुप्तप्राय लंबी चोंच वाले गिद्धों के सफल प्रजनन का रिकॉर्ड बनाया है।

रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य के बारे में -

- **यह कर्नाटक के रामनगर में स्थित है। यह भारत का पहला और एकमात्र गिद्ध अभयारण्य है।**
- **इसे 2012 में लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था।**
- यह अभयारण्य रामदेवरा बेट्टा पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। यह पहाड़ी प्राचीन मंदिरों, खंडहरों और शिलालेखों से सुसज्जित है।
- **अभयारण्य में पाई जाने वाली गिद्ध प्रजातियाँ:**
    - **लंबी चोंच वाला गिद्ध** - गंभीर रूप से लुप्तप्राय
    - **मिस्री गिद्ध** – लुप्तप्राय
    - **सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध** - गंभीर रूप से लुप्तप्राय

लम्बी चोंच वाला गिद्ध -

- **निवास स्थान:** खुले घास के मैदान, सवाना और वन क्षेत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य सहित विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं।
- इसकी पहचान इसकी लंबी और पतली चोंच से होती है, जो मांस को फाड़ने और अस्थि मज्जा तक पहुंचने के लिए आदर्श है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
    - **आईयूसीएन:** गंभीर रूप से लुप्तप्राय
    - **सीआईटीईएस:** परिशिष्ट II
    - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972:** अनुसूची I
    - **प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (सीएमएस):** परिशिष्ट I

स्रोत: The Hindu - Long Billed Vulture

समाचार संक्षेप में

राज्यसभा का नियम-267

- **यह किसी सदस्य को तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए दिन के सूचीबद्ध कार्य को निलंबित करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है।**
- कोई सदस्य नियम-267 के तहत राज्यसभा के सभापति को नोटिस प्रस्तुत करता है। यदि सभापति (विवेक) अनुमोदन करते हैं, तो सामान्य कार्य निलंबित कर दिया जाता है, और तत्काल मामले पर चर्चा की जाती है।
- **पिछली बार इसे नवंबर 2016 में स्वीकार किया गया था, जब उच्च सदन ने विमुद्रीकरण पर चर्चा करने के लिए नियम-267 को लागू किया था।**
- **लोकसभा में भी ऐसा ही नियम**
    - **नियम-184:** अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के मामले पर बहस की अनुमति देता है, जिसके अंत में मतदान का प्रावधान है।
    - **नियम-193:** इसके अंतर्गत भी अत्यावश्यक मामलों पर चर्चा की अनुमति है, लेकिन मतदान के बिना।

स्रोत: The Hindu - Opposition walks out of RS

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)

- **IGNCA भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान है जो भारत की समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और दस्तावेजीकरण के लिए समर्पित है।**
- **यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है।**
- इसकी **स्थापना 1985 में** हुई थी। **(मुख्यालय- नई दिल्ली)**
- **उल्लेखनीय पहल:**
    - **राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य अभिलेखागार (NCAA)** - भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक डिजिटल भंडार।
    - **भारत विद्या प्रयोजन** - भारतीय सभ्यता और ज्ञान प्रणालियों पर एक शोध कार्यक्रम।
    - **पाण्डुलिपि अपनाओ कार्यक्रम** - दुर्लभ पाण्डुलिपियों को संरक्षित करने और डिजिटाइज़ करने की पहल।

स्रोत: PIB - IGNCA

पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई - नया अध्ययन बनाम मिलर-यूरे परिकल्पना

- एक नए अध्ययन से पता चलता है कि बिजली की चमक के बजाय, टकराने वाली लहरों और झरनों से निकले पानी के छींटों ने पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिकों के निर्माण को प्रेरित किया होगा।

मिलर-यूरे परिकल्पना के बारे में -

- **पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, और पहले कुछ बिलियन वर्षों तक, इसमें रसायनों का समृद्ध मिश्रण था, लेकिन कार्बन-नाइट्रोजन बॉन्ड वाले कार्बनिक अणुओं की कमी थी।**
- ये कार्बन-नाइट्रोजन बॉन्ड प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड और क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जो जीवन के निर्माण खंड हैं।
- **1952 में, अमेरिकी वैज्ञानिक स्टेनली मिलर और हेरोल्ड यूरे ने यह प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग किया कि कार्बनिक अणु कैसे बन सकते हैं।**

- **उनके प्रयोग में पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के मिश्रण पर बिजली (बिजली का अनुकरण) लगाना शामिल था, जिससे अमीनो एसिड का निर्माण हुआ - जो जीवन के प्रमुख निर्माण खंड हैं।**

नया अध्ययन बिजली की परिकल्पना को चुनौती देता है -

- **साइंस एडवांसेज में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने मिलर-उरे परिकल्पना को चुनौती देते हुए सुझाव दिया है कि जीवन बिजली की बजाय पानी के छींटों से उभर सकता है।**
- जब पानी की बूंदें विभाजित होती हैं, तो उनमें विपरीत आवेश विकसित होते हैं:
  - बड़ी बूंदें सकारात्मक आवेश ले जाती हैं।
  - छोटी बूंदें नकारात्मक आवेश ले जाती हैं
- जब ये विपरीत रूप से आवेशित बूंदें एक-दूसरे के करीब आती हैं, तो उनके बीच छोटी-छोटी चिंगारियाँ (**माइक्रोलाइटनिंग**) निकलती हैं, जो बादलों में बिजली बनने की नकल करती हैं।
- **अध्ययन से पता चलता है कि जीवन के उभरने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय, टकराने वाली लहरों, झरनों या पानी के छींटों से उत्पन्न होने वाले छोटे-छोटे विद्युत आवेशों ने कार्बनिक रसायन को सक्रिय किया होगा।**

स्रोत: **Indian Express - Microlightning**

बोंगोसागर अभ्यास

- **यह भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। बोंगोसागर का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था।**
- **उद्देश्य:** समुद्री सुरक्षा, सामरिक योजना और परिचालन समन्वय को मजबूत करना।
- **अन्य द्विपक्षीय अभ्यास:** सम्प्रीति।

स्रोत: **PIB - Bongosagar**

फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी

- **इसकी स्थापना 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लगभग 700,000 फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, जिन्हें 1948 के अरब-इजरायल युद्ध के दौरान अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था।**
- यह गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में काम करता है। **(मुख्यालय - गाजा)**
- **यह इन क्षेत्रों में शरणार्थी शिविरों के अंदर और बाहर शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत, सामाजिक सेवाएं, माइक्रोफाइनेंस और आपातकालीन सहायता कार्यक्रम चलाता है।**
- फिलिस्तीन शरणार्थी समस्या के समाधान के अभाव में, महासभा ने बार-बार UNRWA के अधिदेश को नवीनीकृत किया है, हाल ही में इसे 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

स्रोत: **The Hindu - UNRWA**

संपादकीय सारांश

तालिबान के साथ नई दिल्ली का ख़तरनाक पुनर्संतुलन

संदर्भ

भारत तालिबान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में तालिबान शासन को नई दिल्ली में अपने दूतावास के लिए एक नया दूत नियुक्त करने की अनुमति दे सकते हैं।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- भारत में तालिबान के राजनयिक को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जो प्रभावी रूप से शासन को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता देगा।
- चीन ने पिछले वर्ष तालिबान के दूत को स्वीकार करके तथा अफगानिस्तान में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करके पहले ही इस दिशा में पहल कर दी है।
    - वह अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में तालिबान को शामिल करने के बारे में भी सोच रहा है, जिससे शासन पर उसका प्रभाव मजबूत होगा।

भारत को तालिबान के साथ बातचीत में सावधानी बरतने की आवश्यकता क्यों है?

- **इस्लामिक स्टेट (IS) से आतंकवाद का खतरा:** तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान आतंकवाद का केंद्र बन गया है।
    - **IS** ने कई घातक हमले किए हैं, जिनमें तालिबान नेताओं की हत्या और विदेशी दूतावासों पर धमकियां शामिल हैं।
    - इस समूह ने जलालाबाद स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास सहित भारतीय हितों को भी निशाना बनाया है, तथा भारत में हमलों के लिए व्यक्तियों की भर्ती करने का प्रयास कर रहा है।
- **तालिबान का तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के साथ संबंध:** तालिबान पर TTP को समर्थन देने का आरोप लगाया गया है, जिसने पाकिस्तान में कई हमले किए हैं।
    - जवाब में, पाकिस्तान ने तालिबान-नियंत्रित क्षेत्रों पर हवाई हमले किये, जिसके परिणामस्वरूप सीमा पर झड़पें हुईं।
    - आतंकवादी समूहों को नियंत्रित करने में तालिबान की विफलता भारतीय निवेश और कूटनीतिक भागीदारी की सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा करती है।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता और फैलते प्रभाव:** अफ़गानिस्तान से आतंकवाद सिर्फ़ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। मार्च 2024 में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर आईएस का हमला, जिसमें कम से कम 140 लोग मारे गए, दिखाता है कि अफ़गानिस्तान स्थित आतंकवादी नेटवर्क की वैश्विक पहुँच कैसे हो सकती है।
    - तालिबान के साथ किसी भी तरह का संबंध भारत के लिए भी इसी तरह के खतरों का कारण बन सकता है।
- **भारत के सुरक्षा हितों के लिए जोखिम:** तालिबान द्वारा चरमपंथी समूहों को दिया गया अतीत का समर्थन भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न करता है।
    - यदि भारत तालिबान के साथ जुड़ता है, तो इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े आतंकवादी समूहों को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे सीमा पार हमलों का खतरा बढ़ सकता है।
- **अस्थिर राजनीतिक और सुरक्षा वातावरण:** अफगानिस्तान राजनीतिक रूप से अस्थिर बना हुआ है, तालिबान आंतरिक सुरक्षा खतरों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
    - इन मुद्दों का समाधान करने में तालिबान की विफलता, अफगानिस्तान को भारत के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से जोखिम भरा निवेश बनाती है।
- **चीन और पाकिस्तान के अनुभव से सबक:** तालिबान के साथ बातचीत के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों को असफलताओं का सामना करना पड़ा है।

- चीन के बेल्ट एंड रोड निवेश को आईएस के हमलों से खतरा पैदा हो गया है, जबकि तालिबान को प्रभावित करने के पाकिस्तान के प्रयासों से सीमा पार आतंकवाद में वृद्धि हुई है।
- यदि भारत सुरक्षा की स्पष्ट गारंटी दिए बिना तालिबान के साथ अपने संबंधों को गहरा करता है तो उसे भी इसी प्रकार के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

स्रोत: **The Hindu: New Delhi's perilous recalibration with the Taliban**

निर्माण श्रमिकों के समक्ष आने वाली बाधाएं

संदर्भ

- लार्सन एंड टुब्रो के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एन. सुब्रह्मण्यन ने कहा कि निर्माण श्रमिक काम के लिए स्थानांतरित होने में झिझकते हैं, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं।
    - हालाँकि, यह दृष्टिकोण निर्माण मजदूरों के सामने आने वाली गहरी संरचनात्मक चुनौतियों को नजरअंदाज करता है।

निर्माण श्रमिकों के समक्ष चुनौतियाँ -

- **विखंडित रोजगार और नौकरी की असुरक्षा:** बार-बार स्थानांतरण और मौसमी काम अस्थिरता पैदा करते हैं।
    - दीर्घकालिक अनुबंधों की कमी के कारण नौकरी की उच्च असुरक्षा।
- **कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयाँ:** भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा-शर्तों का विनियमन) (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत 70,000 करोड़ रुपये एकत्र होने के बावजूद, 75% राशि का उपयोग नहीं हो पाया है।
    - उचित दस्तावेज़ों (जैसे, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र) का अभाव लाभ तक पहुंच को सीमित करता है।
    - जटिल पंजीकरण और सत्यापन प्रोटोकॉल विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं।
- **रोजगार प्रमाणन में चुनौतियां:** 90-दिवसीय रोजगार प्रमाणपत्र की आवश्यकता को पूरा करना कठिन है।
    - ठेकेदार अक्सर आवश्यक प्रमाणपत्र देने से इनकार कर देते हैं।
    - कुछ राज्य स्व-प्रमाणन या ट्रेड यूनियन प्रमाणपत्र की अनुमति देते हैं, लेकिन नियोक्ता सत्यापन अभी भी आवश्यक है।

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (बीओसीडब्ल्यू अधिनियम) के तहत, श्रमिकों को यह प्रमाण देना आवश्यक है कि उन्होंने कल्याणकारी लाभों के लिए पंजीकरण हेतु **एक वर्ष में कम से कम 90 दिन** काम किया है, जैसे:

- बेरोजगारी के दौरान वित्तीय सहायता
- स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ
- बच्चों के लिए शिक्षा सहायता
- कार्यस्थल पर चोट लगने या मृत्यु होने पर मुआवजा

- **लाभों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी का अभाव:** जब प्रवासी श्रमिक किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित होते हैं तो वे कल्याणकारी लाभों से वंचित हो जाते हैं।
    - राज्यों के बीच लाभ हस्तांतरित करने के लिए कोई अंतर-प्रचालनीय प्रणाली मौजूद नहीं है।
- **मौसमी रोजगार व्यवधान:** वायु प्रदूषण या गर्म लहर जैसी घटनाओं के दौरान निर्माण प्रतिबंधों के कारण आय की हानि।
    - वित्तीय राहत प्राप्त करने में विलंब और प्रशासनिक बाधाएं।
- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का अभाव:** श्रमिकों के डेटा पर नज़र रखने और लाभ वितरित करने के लिए कोई केंद्रीकृत प्रणाली नहीं है।
    - वास्तविक समय निगरानी और स्वचालित सत्यापन प्रणालियों का अभाव।

प्रस्तावित समाधान -

- **एकीकृत राष्ट्रीय श्रमिक पहचान प्रणाली:** लाभों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड के समान प्रणाली बनाना।

- सभी राज्यों में पहुंच को सक्षम करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर BOCW पंजीकरण को UAN से जोड़ना।

UAN का तात्पर्य **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा** ईपीएफ में योगदान करने वाले सभी कर्मचारियों को दिया जाने वाला 12 अंकों का विशिष्ट पहचानकर्ता है ।

- **कल्याणकारी योजनाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म:** एक समान पंजीकरण और संवितरण के लिए एक केंद्रीकृत, ओपन-सोर्स डिजिटल पोर्टल विकसित करना।
  - विलंब को कम करने और पारदर्शिता में सुधार के लिए आधार सीडिंग और वास्तविक समय ट्रैकिंग का उपयोग करना।
- **सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण और सत्यापन:** स्व-घोषणा या ट्रेड यूनियन प्रमाणपत्र जैसे वैकल्पिक प्रमाण स्वीकार करना।
  - प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑन-साइट शिविरों के माध्यम से थोक पंजीकरण आयोजित करना।
- **कौशल विकास और प्रशिक्षण:** उद्योग की मांग के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम स्थापित करना।
  - श्रमिकों की प्रतिधारण क्षमता और उत्पादकता में सुधार के लिए मध्यम अवधि के कौशल विकास पहल को बढ़ावा देना।
- **बेहतर कार्य स्थितियां:** श्रमिकों के स्वास्थ्य और दक्षता में सुधार के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना।
  - निर्माण कम्पनियों को बेहतर कार्यस्थल मानकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **राज्यों में सुसंगत कल्याण वितरण:** एकीकृत श्रमिक डेटाबेस के माध्यम से लाभों की पोर्टेबिलिटी को सक्षम करना।
  - यह सुनिश्चित करना कि एक राज्य में पंजीकृत लाभ दूसरे राज्य में भी उपलब्ध हों।

स्रोत: **The Hindu: The barriers faced by construction workers**

चुनावी सुधार क्यों आवश्यक हैं?

संदर्भ

चुनाव आयोग (EC) ने चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने पर चर्चा के लिए राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- यह हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों और विभिन्न राज्यों में डुप्लिकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) संख्याओं को लेकर चिंताओं के बाद आया है।

चुनावों के लिए कानूनी ढांचा -

- **संविधान का अनुच्छेद-324:** चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने तथा संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है।
- **शासकीय कानून:** मतदाता सूची की तैयारी निम्नलिखित द्वारा विनियमित होती है:
    - **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950**
    - **निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960**

मतदान प्रक्रिया का विकास -

- **पहले दो आम चुनाव (1952, 1957):** प्रत्येक उम्मीदवार के लिए उनके चुनाव चिह्न के साथ अलग मतपेटियों का उपयोग किया गया था।
    - मतदाताओं ने अपने चुने हुए उम्मीदवार के पक्ष में एक खाली मतपत्र डाला।
- **मतपत्रों की शुरूआत (1962):** तीसरे आम चुनाव से, उम्मीदवारों के **नाम और प्रतीक वाले मतपत्रों की शुरूआत हुई।**
- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग (2004):** 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद से सभी निर्वाचन क्षेत्रों में EVM का उपयोग किया गया है।
- **VVPAT की शुरूआत (2019):** 2019 से, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में EVM को 100% मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों द्वारा समर्थित किया गया है।

चुनाव प्रक्रिया में मुद्दे -

मतदान और मतगणना प्रक्रिया में समस्याएँ

- **पेपर बैलेट की मांग:** एक जनहित याचिका में पेपर बैलेट की वापसी की मांग की गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल 2024 में खारिज कर दिया।
- **VVPAT और EVM मिलान:** EVM गणना के साथ VVPAT पर्चियों के 100% मिलान की मांग (वर्तमान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच मशीनों के लिए किया जाता है) को अस्वीकार कर दिया गया।
    - उच्चतम न्यायालय ने EVM निर्माताओं के इंजीनियरों को 5% EVM की बर्न मेमोरी की जांच करने की अनुमति दे दी है, यदि परिणाम घोषित होने के सात दिनों के भीतर दूसरे या तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को परिणाम में छेड़छाड़ का संदेह हो।
- **मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप:** महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने के आरोप।
- **डुप्लिकेट EPIC नंबर:** पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा और पंजाब जैसे विभिन्न राज्यों में समान EPIC नंबर पाए जाते हैं।
    - ERONET प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित होने से पहले पहले से विकेन्द्रीकृत EPIC नंबर प्रणाली का परिणाम।
    - चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता केवल अपने निर्धारित मतदान केन्द्र पर ही मतदान कर सकेंगे।

अभियान प्रक्रिया में समस्याएँ -

- **स्टार प्रचारक की स्थिति का दुरुपयोग:** नेताओं द्वारा अपमानजनक भाषा का प्रयोग, जाति/सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना तथा निराधार आरोप लगाना।
- **चुनाव व्यय उल्लंघन:**
    - व्यय सीमा का व्यापक उल्लंघन उम्मीदवारों द्वारा।
    - चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च पर कोई सीमा नहीं।
    - 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुमानित चुनाव व्यय: ₹1,00,000 करोड़।
    - अधिक व्यय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और एक दुष्चक्र का निर्माण करता है।
- **राजनीति का अपराधीकरण:**
    - 2024 में निर्वाचित 543 सांसदों में से 251 (46%) पर आपराधिक मामले हैं।
    - 170 (31%) सांसदों पर बलात्कार, हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं।

आवश्यक सुधार -

मतदान और मतगणना प्रक्रिया में सुधार

- **VVPAT सत्यापन का वैज्ञानिक नमूनाकरण:** EVM और VVPAT मिलान के लिए नमूना आकार वैज्ञानिक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।
    - यदि एक भी त्रुटि पाई जाए तो पूरी VVPAT गणना की जानी चाहिए।
- **टोटलाइजर मशीनों का परिचय:** उम्मीदवार-वार गणना का खुलासा करने से पहले 14 EVM में वोटों को एकत्रित किया जाता है।
    - बूथ स्तर पर मतदाता गोपनीयता की रक्षा के लिए 2016 में चुनाव आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी।
- **5% EVM का सत्यापन:** दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को छेड़छाड़ के संदेह के मामले में 5% EVM के सत्यापन का अनुरोध करना चाहिए।
- **विशिष्ट EPIC नंबर और आधार लिंकिंग:** चुनाव आयोग को राज्यों में डुप्लिकेट EPIC नंबर हटा देना चाहिए।
    - गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने के बाद आधार को EPIC से जोड़ने पर विचार किया जा सकता है।

अभियान प्रक्रिया में सुधार -

- **स्टार प्रचारक के कदाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई:** चुनाव आयोग को गंभीर एमसीसी उल्लंघन के लिए 'स्टार प्रचारक' का दर्जा रद्द करना चाहिए।
    - चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पार्टी की मान्यता को निलंबित या वापस ले सकता है, जो कि प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 16A के अंतर्गत आता है।
- **चुनाव व्यय विनियमन:** राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव व्यय की एक सीमा होनी चाहिए।
    - राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को व्यय सीमा में गिना जाना चाहिए।
- **आपराधिक इतिहास का खुलासा:** उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव से पहले तीन बार आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना होगा।
    - प्रसारित स्थानीय समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित होना चाहिए।

संस्थागत सुधार -

- **रचनात्मक संवाद:** चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को चुनावी और प्रचार प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सार्थक चर्चा में शामिल होना चाहिए।
    - इसका उद्देश्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों में जनता का विश्वास कायम करना है।

स्रोत: **The Hindu: Why are electoral reforms necessary?**

विस्तृत कवरेज

भारत और न्यूज़ीलैंड संबंध

संदर्भ

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

सहयोग के क्षेत्र -

ऐतिहासिक संबंध

- **प्रारंभिक भारतीय प्रवास:** 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर सवार होकर भारतीय न्यूजीलैंड पहुंचने लगे।
    - प्रारंभिक प्रवासी मुख्यतः गुजरात से तथा बाद में पंजाब से आये।
    - **1920 में ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन का गठन (शताब्दी वर्ष 2020 में मनाया गया)।**
- **राजनयिक संबंध**: दोनों देश **1947 में स्वतंत्र हुए**।
    - **1950 में** एक **व्यापार आयोग के साथ** राजनयिक प्रतिनिधित्व स्थापित किया, जिसे बाद में **उच्चायोग में उन्नत किया गया**।
- **साझा समानताएँ**:
    - राष्ट्रमंडल सदस्यता
    - सामान्य कानून प्रथाएँ
    - लोकतांत्रिक शासन विविध समुदायों पर केंद्रित है

राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग -

- **संसदीय कार्य**: नियमित संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा।
- **रक्षा सहयोग**: **सैन्य अभ्यास** और **स्टाफ कॉलेज आदान-प्रदान में भागीदारी में वृद्धि** ।
    - नौसैनिक जहाजों द्वारा नियमित **बंदरगाह कॉल(जैसे, तारिणी** लिटलटन और **एचएमएनजेडएस ते काहा में** मुंबई में)।
    - नियमित द्विपक्षीय रक्षा संबंध स्थापित करने के लिए **रक्षा सहयोग हेतु भारत-न्यूजीलैंड समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर।
- **समुद्री सुरक्षा: संयुक्त समुद्री बलों** में भारत की भागीदारी और **कमांड टास्क फोर्स 150 के तहत सहयोग**।
    - न्यूजीलैंड की **हिन्द-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) में शामिल होने में रुचि**।
    - लोथल स्थित **राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी)** में समुद्री सहयोग पर चर्चा।
- **क्षमता निर्माण**: रक्षा महाविद्यालयों में नियमित अधिकारी प्रशिक्षण आदान-प्रदान।

व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग -

- **व्यापार:** वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार 2.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता का संकेत देता है।
- **एफटीए वार्ता**: एक संतुलित, व्यापक व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू करने पर सहमति।
- **डिजिटल भुगतान**: डिजिटल भुगतान क्षेत्र में शीघ्र सहयोग पर चर्चा।
- **सीमा शुल्क सहयोग: सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था (सीसीए)** (2024) के अंतर्गत **अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (एईओ-एमआरए) पर** हस्ताक्षर।
    - एईओ-एमआरए विश्वसनीय व्यापारियों के बीच माल की आवाजाही को आसान बनाकर व्यापार को सुगम बनाने में सहायक होगा।
- ज्ञान साझाकरण और अनुसंधान आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए बागवानी पर सहयोग ज्ञापन।
    - फसलोपरांत एवं विपणन अवसंरचना का विकास।
    - नीतिगत वार्ता और तकनीकी आदान-प्रदान के लिए वानिकी सहयोग पर आशय पत्र।

- **पर्यटन और हवाई संपर्क:** आर्थिक संबंधों और आपसी समझ को बढ़ाने में पर्यटन की भूमिका की मान्यता।
    - सीधी उड़ानों को समर्थन देने के लिए **भारत-न्यूजीलैंड हवाई सेवा समझौते** को अद्यतन किया गया।
    - भारत और न्यूजीलैंड के बीच **नॉन-स्टॉप उड़ानें** शुरू करने के लिए एयरलाइनों को प्रोत्साहन।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन -

- **प्रौद्योगिकी साझेदारी**: **अनुसंधान, नवाचार और** प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण में सहयोग को मजबूत करना।
- **जलवायु परिवर्तन सहयोग: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)** में न्यूजीलैंड की सदस्यता (2024 से)।
    - **आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई)** में न्यूजीलैंड की सदस्यता।
- **भूकंप शमन**: तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने के लिए **भूकंप शमन पर समझौता ज्ञापन की दिशा में कार्य करना।**

शिक्षा, गतिशीलता और लोगों के बीच संबंध -

- **शिक्षा: एक नए शिक्षा सहयोग समझौते** पर हस्ताक्षर।
    - न्यूजीलैंड के शिक्षा संस्थानों तक भारतीय छात्रों की पहुंच का विस्तार।
- **कुशल प्रवासन**: व्यापार समझौते के तहत कुशल श्रमिक गतिशीलता पर बातचीत करने के लिए समझौता।
    - अनियमित प्रवासन के मुद्दों का समाधान करना।
- **खेल**: क्रिकेट, हॉकी और ओलंपिक खेलों में खेल सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
    - खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 2026 में **स्पोर्टिंग यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।**
- **पारंपरिक चिकित्सा**: ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग पर विशेषज्ञ चर्चा।
- **सांस्कृतिक संबंध: योग**, भारतीय **संगीत**, **नृत्य** और **त्यौहारों** में न्यूजीलैंड की रुचि बढ़ रही है।
    - द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

चुनौतियाँ क्या हैं?

- **व्यापार वार्ता बाधाएं: 2009** में शुरू की गई एफटीए वार्ता में भारत की **संरक्षणवादी नीतियों** के कारण देरी हो रही है।
    - **कृषि** और **डेयरी उत्पादों** पर उच्च टैरिफ एक मुद्दा बना हुआ है।
    - **घरेलू खाद्य सुरक्षा** पर भारत का ध्यान व्यापार उदारीकरण को जटिल बनाता है।
    - **उदाहरण के लिए**, डेयरी उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक देश न्यूजीलैंड दूध पाउडर और डेयरी उत्पादों को बेचने के लिए भारतीय बाजार तक पहुंच बनाने का इच्छुक है।
        - हालाँकि, भारत ने अपने घरेलू डेयरी उद्योग की चिंताओं के कारण इसका विरोध किया है।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** प्रशांत क्षेत्र में चीन के रणनीतिक समझौते (जैसे, **कुक द्वीप समूह के साथ**) न्यूजीलैंड पर दबाव बनाते हैं।
    - चीन पर न्यूजीलैंड की आर्थिक निर्भरता उसकी विदेश नीति संतुलन को जटिल बनाती है।
- **भू-राजनीतिक मतभेद:** भारत की **परमाणु नीतियों पर ऐतिहासिक मतभेदों के कारण** अतीत में संबंध तनावपूर्ण रहे हैं (उदाहरण के लिए, भारत के परमाणु परीक्षणों के प्रति न्यूजीलैंड का विरोध (1998))।
    - सुरक्षा गठबंधनों के प्रति न्यूजीलैंड का पारंपरिक रूप से सतर्क दृष्टिकोण, गहन रणनीतिक सहभागिता में झिझक पैदा करता है।
- **राजनीतिक संवेदनशीलताएँ:** भारत की घरेलू राजनीतिक और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं के कारण कूटनीतिक सहभागिता सीमित हो सकती है।

  - राजनीतिक प्रणालियों और शासन शैलियों में अंतर नीति संरेखण में घर्षण पैदा करता है।
- **विनियामक और रसद संबंधी बाधाएं: विनियामक मानकों** और **सीमा शुल्क प्रक्रियाओं** में अंतर सुचारू व्यापार में बाधा डालते हैं।
  - जटिल वीज़ा प्रक्रियाएं और कार्य परमिट पेशेवरों और छात्रों की गतिशीलता को सीमित करते हैं।
- **आर्थिक विषमता:** भारत की विशाल एवं विविध अर्थव्यवस्था, न्यूजीलैंड के छोटे, निर्यात-निर्भर बाजार के विपरीत है।
  - इस आर्थिक असंतुलन के कारण पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार शर्तें ढूंढना चुनौतीपूर्ण है।

आगे की राह -

- **एफटीए वार्ता को पुनर्जीवित करना और समाप्त करना:** संवेदनशील उत्पादों पर चरणबद्ध टैरिफ कटौती के माध्यम से भारत की संरक्षणवादी चिंताओं का समाधान करना।
  - प्रौद्योगिकी और सेवाओं जैसे गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट व्यापार समझौतों की संभावना तलाशें।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग बढ़ाना:** चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए संयुक्त समुद्री सुरक्षा पहल विकसित करना।
  - अधिक सुरक्षा सहयोग के लिए क्वाड और प्रशांत द्वीप फोरम जैसे क्षेत्रीय ढाँचों के साथ तालमेल बिठाना।
- **आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार:** कृषि और डेयरी से परे व्यापार में विविधता लाना, प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना।
  - व्यवसाय-से-व्यवसाय साझेदारी और निवेश मंचों को प्रोत्साहित करना।
- **शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना:** जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और नीली अर्थव्यवस्था में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना।
  - छात्र और व्यावसायिक गतिशीलता को बढ़ाने के लिए वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा।
- **जलवायु परिवर्तन और स्थिरता पर सहयोग को मजबूत करना:** प्रशांत क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा पहल और सतत विकास परियोजनाओं पर साझेदारी करना।
  - छोटे द्वीपीय देशों में जलवायु लचीलेपन और आपदा प्रबंधन प्रयासों को समर्थन प्रदान करना।
- **प्रवासी भारतीयों और सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना:** न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों को मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिए एक सेतु के रूप में शामिल करना।
  - आपसी समझ के लिए भारतीय सांस्कृतिक उत्सवों और न्यूजीलैंड की स्वदेशी माओरी विरासत को बढ़ावा देना।

स्रोत:

- **PIB: India - New Zealand Joint Statement**
- **The Diplomat: With Luxon Visit, India-New Zealand Ties Scale New Heights**